रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1089] नई दिल्ली, बुधवार, जून 2, 2010/ज्येष्ठ 12, 1932

No. 1089] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 2, 2010/JYAISTHA 12, 1932

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 2010

का.आ. 1303(अ).—जबकि व्यक्तियों और संगमों की कतिपय विधिविरुद्ध गतिविधियों के अधिक प्रभावी निवारण तथा आतंकवादी गतिविधियों और उनसे संबंधित मामलों से निपटने का प्रावधान करने के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) अधिनियमित किया गया है;

2. और जबकि उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (झ) के खण्ड (ड) में आतंकवादी संगठन को अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन के रूप में अथवा इस प्रकार सूचीबद्ध संगठन के नाम से क्रियाशील संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है;

3. और जबकि उक्त अधिनियम की अनुसूची में आतंकवादी संगठनों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है;

4. और जबकि केन्द्र सरकार यह मानती है कि इंडियन मुजाहिदीन, इसके सभी गुट और प्रमुख संगठन आतंकवाद में शामिल हैं;

5. अत: अब विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इंडियन मुजाहिदीन, इसके सभी गुटों और प्रमुख संगठनों को उक्त अधिनियम की अनुसूची में शामिल करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है और इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

[धारा 2(झ), (ड) और 35 देखें]

आतंकवादी संगठन

"35. इंडियन मुजाहिदीन, इसके सभी गुट और प्रमुख संगठन"।

[फा. सं. 17011/20/2010-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की अनुसूची को पहले भारत सरकार के दिनांक 22 जून, 2009 के आदेश संख्या फा. सं. 1-13014/4/2007-एन.एम.-III के तहत संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 2010

S.O. 1303 (E).—Whereas the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

2. And whereas clause (m) of sub-section (i) of Section 2 of the said Act defines the terrorist organisation to mean an organisation listed in the Schedule or an organisation operating under the same name as an organisation so listed;

3. And whereas the Schedule to the said Act specify the list of terrorist organisations;

4. And whereas the Central Government believes that the Indian Mujahideen, all its formations and front organizations is involved in terrorism;

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following order to add the Indian Mujahideen, all its formations and front organisations in the Schedule to the said Act and for that purpose makes the following further amendment, namely :—

In the Schedule to the said Act, after serial number 34 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

THE SCHEDULE

[See Sections 2 (l), (m) and 35]

TERRORIST ORGANISATIONS

"35. Indian Mujahideen, all its formations and front organisations".

[F. No. 17011/20/2010-IS.-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

Note : The Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was earlier amended *vide* the order of the Government of India's number (F.No. I-13014/4/2007-NM-III, dated 22nd June, 2009).

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.